नेपाल में प्रदर्शनों के बीच सीमा पर कड़ी सुरक्षा

सिद्धार्थनगर जिले में समस्त सीमावर्ती थानों को अलर्ट मोड के दिए निर्देश

बस्ती 11 सितम्बर (वार्ता). उत्तर प्रदेश में बस्ती परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) संजीव त्यागी ने गुरूवार को कहा है कि नेपाल की हालत को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ सिद्धार्थनगर जिले में समस्त सीमावर्ती थानों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है.

उन्होंने बताया है कि सिद्धार्थनगर जनपद नेपाल की सीमा से सटा हुआ है नेपाल की स्थित को देखते हुए बढ़नी, ककरहा, अलीगढ़वा सहित अन्य सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गयी है तथा सीमावर्ती सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. सीमा पर एसएसबी के जवानों द्वारा चौकसी बरती जा रही है तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट मोड पर है. वर्तमान समय में भारत की सीमा पर सुरक्षा के प्रबन्ध किये गये है .उन्होंने बताया कि सिद्धार्थनगर से सटे नेपाल के कृष्णानगर में सभी प्रकार के वाहनों पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्देश दिया गया है और भन्सार कार्यालय को अग्रिम आदेश तक बन्द रखने का भी निर्देश दिया गया है. गाड़ियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है. नेपाल सीमा की तरफ जाने वाली बढ़नी, ढेबरूआ, चिल्हिया, कपिलवस्तु, इटवा सहित अन्य मार्गो पर भी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा निगरानी किया जा रहा है. वहां पर लगे सभी सीसी टीवी कैमरों को पूरी तरह से सक्रिय रखा गया है.

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा रहीं सुशीला

पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश की अगली प्रधानमंत्री चुना गया. जेन की लहर में यह बदलाव आया है, जिसने अनुभव और ईमानदारी को महत्व दिया. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा रहीं सुशीला ने बीएचयू की यादों को ताजा करते हुए भारत से जुड़े अपने अनुभव साझा किए. उनका ये बयान दोनों देशों के बीच रिश्तों को नई ऊर्जा देने वाला माना जा रहा है.

अकोला दंगों के मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन

नई दिल्ली, 11 सितंबर. उच्चतम न्यायालय ने 2023 में महाराष्ट्र के अकोला में हुए दंगों के मामले की जांच के लिए गुरुवार को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित करते हुए कहा कि एसआईटी में हिन्दू और मुस्लिम दोनों समुदायों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए जाएंगे. पीठ ने दंगों के दौरान एक हत्या मामले के चश्मदीद गवाह होने का दावा करने वाले मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ की विशेष पर अनुमति याचिका यह फैसला सुनाया.

सीआरपीएफ का पत्र, राहुल गांधी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया

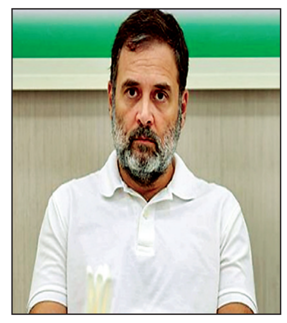

नई दिल्ली11 सितंबर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है.

सीआरपीएफ का कहना है कि पिछले नौ महीनों में राहुल गांधी छह बार विदेश यात्रा पर गए, लेकिन एजेंसियों को सूचना नहीं दी. इस तरह की चूक+ श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर कर सकती है. श्रेणी सुरक्षा प्राप्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सीआरपीएफ ने सुरक्षा प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप लगाने वाला एक पत्र भेजा है. यह पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्देशित है जिसमें आरोप है कि राहुल गांधी ने पिछले नौ महीनों में बिना सूचना दिए छह बार विदेश यात्रा की हैं. इसमें इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्राएँ शामिल हैं. सीआरपीएफ ने यह चेतावनी भी दी है कि इस तरह के उल्लंघन से राहुल गांधी की सुरक्षा कवर में कमजोरी आ सकती है और उनकी सुरक्षा पर संभावित खतरा उत्पन्न हो सकता है.

सुरक्षा श्रेणी के तहत, एक व्यक्ति को येलो-बुक प्रोटोकॉल व एडवांस सिक्योरिटी लाइजन के तहत गतिविधियों, यात्रा और कार्यक्रमों की जानकारी पहले से देनी होती है ताकि सुरक्षा एजेंसी खतरा आकलन कर सकें.

विदेश दौरे पर सुरक्षा उल्लंघन का आरोप

सीआरपीएफ के अनुसार, पिछले 9 महीनों में राहुल गांधी 6 बार विदेश गए हैं और हर बार उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया. इनमें से किसी भी दौरे की सूचना एजेंसी को पहले से नहीं दी गई, जिससे सुरक्षा तंत्र को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, तो राहुल गांधी की सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है. सीआरपीएफ ने कांग्रेस नेतृत्व से आग्रह किया है कि वे राहुल गांधी को सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए सुनिश्चित करें.

सीआरपीएफ ने पत्र में यह भी लिखा है कि ये घटनाएं नई नहीं हैं; एजेंसी ने पहले भी इस तरह की सुरक्षा चूक की शिकायतें की हैं. सीआरपीएफ का दावा है कि राहुल गांधी ने समय-अनुसूचित सुरक्षा दिशानिर्देशों का उल्लंघन कई बार किया है, यह जानकारी उन्हें समय-समय पर दी गई है. कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सुरक्षा इंतजाम पूरे हैं और प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोपों की जांच होनी चाहिए. राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के चलते यह मामला सार्वजनिक और मीडिया में विवाद का विषय बन चुका है. इस पत्र से सामने आया है कि सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिलने में देरी या अनुपस्थिति सुरक्षा योजना को प्रभावित करती है.

आयकर विभाग का रेड टेप कंपनी के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी

नोएडा 11 सितंबर (वार्ता). उत्तर प्रदेश स्थित गौतमबुद्धनगर जिले में आयकर विभाग ने लेदर का बड़ा कारोबार करने वाली कंपनी रेड टेप के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर के विभिन्न ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी की.

रेड टेप कंपनी का लेदर का बड़ा कारोबार जिसका कारखाना कानपुर में है जहां से विभिन्न वस्तुओं के इस्तेमाल से महंगे जूते चप्पल आदि बनाने वाली कंपनी के ठिकानों पर की जा रही है छापेमारी की कार्रवाई. रेड टेप द्वारा बनाए जाने वाले अपने महंगे स्टाइलिश सामान की बिक्री से विख्यात रेड टेप ब्रांड कंपनी कभी अपने कंपनी का ब्रांड एंबेसडर बड़े फिल्मी सितारों को बनाती थी. काफी लंबे समय से रेड टेप कंपनी जूतों और चप्पलों सहित कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर सेल करती थी भारत सहित विदेश में इस कंपनी के हजारों ब्रांच हैं और लाखों इसके ग्राहक भी. अब इस कंपनी के नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत कानपुर में आयकर विभाग की टीमों द्वारा एक साथ छापेमारी की जा रही है. नोएडा व ग्रेटर नोएडा में रेड टेप के कम्पनी के ठिकानों सहित चिन्हित विभिन्न जगहों पर कई टीमों द्वारा छापेमारी कर खंगाले जा रहे दस्तावेज. सूत्रों के अनुसार इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे हैं.

गाजा जा रहे जहाज में आग की घटना सुनियोजित हमला थी

ट्यूनिस, 11 सितंबर. ट्यूनीशिया में गाजा जाने के दौरान फैमिली जहाज में लगी आग की घटना को सुनियोजित हमला बताया है. ट्यूनीशिया के गृह मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि वह इस घटना की जाच शुरू कर रहा है. ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के सबसे बड़े जहाज फैमिली में मंगलवार तड़के आग लग गयी थी. इस हादके के समय जहाज सिदी बू सैद बंदरगाह पर खड़ा था. ट्यूनीशियाई अधिकारियों की ओर पहले जारी बयान में कहा गया था कि आग लाइफ जैकेट के ढेर में लगी थी और जल्दी ही उस पर काबू पा लिया गया. किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

आप नेताओं को किया नजरबंद : केजरीवाल

नई दिल्ली, 11 सितंबर (वार्ता). आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके सांसद संजय सिंह को श्रीनगर स्थित सरकारी गेस्ट हाउस में नजर बंद किया गया है.

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक वीडियो एक्स पर साझा कर कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला हमारे सांसद संजय सिंह से मिलने गेस्ट हाउस पहुंचे लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने तक नहीं दिया. श्री सिंह को नजरबंद कर रखा है. जनता की आवाज दबाई जा रही है, विपक्ष के नेताओं को कैद किया जा रहा है. भाजपा खुली गुंडागर्दी पर उतर आयी है. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री के पिता हैं, उन्हें भी आप राज्यसभा सांसद से उन्हीं के राज्य में मिलने नहीं दिया जा रहा है. ये सरासर गुंडागर्दी और तानाशाही है. सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि बहुत दु:ख की बात है कि जम्मू-कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रहे डॉ. अब्दुल्ला पुलिस द्वारा मुझे हाउस गिरफ्तार किए जाने की खबर पाकर मुझसे मिलने सरकारी गेस्ट हाउस में आए, उन्हें मिलने नहीं दिया गया. ये तानाशाही नहीं तो और क्या है?

आज मेहराज मलिक की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर में संवाददाता सम्मेलन और धरना था लेकिन सरकारी गेस्ट हाउस को पुलिस छावनी बना दिया गया है. मुझे, पूर्व मंत्री इमरान हुसैन और साथियों को गेस्ट हाउस से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है. आप की वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है. तानाशाही अपने चरम पर है. हमारे सांसद संजय सिंह श्रीनगर पहुंचे थे, ताकि विधायक श्री मलिक की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ संवाददाता सम्मेलन और धरना दे सकें, लेकिन भाजपा इतनी बौखलाई हुई है कि हमारे नेताओं को गेस्ट हाउस में ही कैद कर लिया गया.

एक नजर में

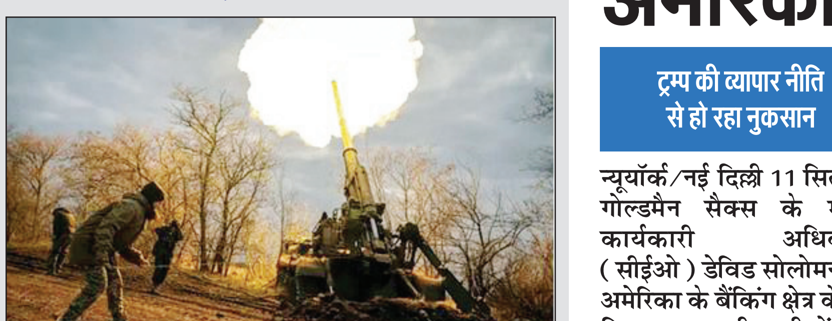

वायु रक्षा प्रणालियों ने 17 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए

मास्को, 11 सितंबर. रुस के रक्षा मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने रूसी क्षेत्रों में घुसे 17 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए हैं. मंत्रालय ने जारी बयान में कहा, पिछली रात, ड्यूटी पर तैनात वायु रक्षा प्रणालियों ने 17 यूक्रेनी विमान-प्रकार के मानवरहित हवाई वाहनों को नष्ट कर दिया. मंत्रालय के मुताबिक वोरोनिश क्षेत्र में छह ड्रोन, बेलगोरोड क्षेत्र में पांच, ब्रांस्क और कुर्स्क क्षेत्रों में दो-दो, और लिपेत्स्क और तांबोव क्षेत्रों में एक-एक ड्रोन मार गिराया गया.

इजरायली हमले में लापता लोगों की तलाश जारी

दोहा, 11 सितंबर (वार्ता). कतर की राजधानी दोहा में वरिष्ठ हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए इज़रायली हमले में मारे गए पांच लोगों में से तीन के शवों की पहचान कर ली गयी है जबकि दो की पहचान करना अभी शेष है. कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने सीएनएन के साथ एक साक्षात्कार में ये जानकारी दी. उन्होंने हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल-हय्या के बारे में कुछ नहीं बताया. उन्होंने कहा, इज़रायल की कार्रवाई राजकीय आतंक के समान है और उन्हें उम्मीद है कि कतर के क्षेत्रीय साझेदार सामूहिक प्रतिक्रिया पर सहमत होंगे. शेख मोहम्मद ने यह भी कहा कि उन्हें डर है कि इजराइली हमले ने गाज़ा में बचे हुए 48 बंधकों के लिए किसी भी उम्मीद को खत्म कर दिया है, जिनमें से 20 के जीवित होने की संभावना है.

ट्रांस-यमुना क्षेत्र में 18 नए बस रूट की पहचान

नईदिल्ली, 11 सितंबर. दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि आईआईटी दिल्ली की तकनीकी सहायता से रूट रेशनलाइजेशन के बाद यहां ट्रांस-यमुना क्षेत्र में 18 नए बस रूट की पहचान की गई है. डॉ. पंकज ने कहा कि आईआईटी दिल्ली की तकनीकी सहायता से रूट रेशनलाइजेशन के बाद ट्रांस-यमुना क्षेत्र में 18 नए बस रूट की पहचान की गई है. रूट रेशनलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के अंतिम छोर तक डीटीसी बसों की कनेक्टिविटी बढ़ाकर उन क्षेत्र को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने के साथ यात्री फ्रेंडली बनाकर जाम की समस्या कम करने के साथ मेट्रो स्टेशनों और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के साथ लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को और सशक्त करना है. रूट रेशनलाइजेशन के जरिए हजार से अधिक स्टॉप को जोड़ने के साथ ज्यादातर उन इलाकों तक बसों की कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जहां पहले बस सेवा की पहुंच नहीं थी. उन्होंने कहा कि पहले से वंचित रहे इलाकों तक बस सेवा पहुंचने से दिल्लीवासियों को राहत मिल सकेगी.

अमेरिकी बैंकों की बढ़ रही है चिंता

ट्रम्प की व्यापार नीति से हो रहा नुकसान

न्यूयॉर्क/नई दिल्ली 11 सितंबर. गोल्डमैन सैक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डेविड सोलोमन भी अमेरिका के बैंकिंग क्षेत्र के उन दिग्गज नाम की सूची में जुड़ गए हैं जिनका मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की व्यापार नीति से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ना शुरू हो गया है.

इन लोगों की चिंता है कि ट्रम्प की नीतियां मंदी का कारण बन सकती हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का व्यापार युद्ध विकास की संभावनाओं को प्रभावित कर रहा है. गोल्डमैन सैक्स ग्रुप के सीईओ ने बुधवार को अमेरिकी समाचार चैनल सीएनबीसी के साथ बातचीत में कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने कुछ रोज़गार आँकड़े देखे हैं जो संकेत देते हैं कि कुछ नरमी आई है. मुझे लगता है कि आपको इस पर बहुत बारीकी से नज़र रखनी होगी. अगस्त में अमेरिकी थोक मुद्रास्फीति में अनुमानों के विपरीत आई गिरावट के बावजूद सोलोमन ने कहा कि उन्हें लगातार कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं.

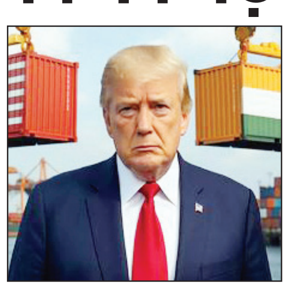

उन्होंने कहा, व्यापार नीति पर अभी भी बातचीत चल रही है और उसे लागू किया जा रहा है. यह सब कहाँ तक पहुँचेगा, इस बारे में अनिश्चितता है और मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि इसका आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ रहा है. इससे पहले जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेमी डिमन ने मंगलवार को कहा था कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है,और रोजगार आंकड़ों में जिस तरह का संशोधन हुआ है उससे उनके बैंक के पहले के अनुमान की पुष्टि हुई है.

अपहृत इजराइली-रूसी शोधकर्ता एलिजाबेथ को किया

बगदाद, 11 सितंबर. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इराकी मिलिशिया द्वारा कई महीनों तक कैद और यातनाएं झेलने वाली एक इजराइली-रूसी शोधकर्ता एलिजाबेथ त्सुर्कोव को रिहा कर दिया है.

अब वह अमेरिका में सुरक्षित हैं. सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है, मुझे बताते हुए यह खुशी हो रही है कि प्रिंसटन की छात्रा एलिजाबेथ त्सुर्कोव को कताइब हिज्जुबुल्लाह ने रिहा कर दिया है. अब वह इराक में अमेरिकी दूतावास में सुरक्षित हैं. इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने त्सुर्कोव की रिहाई के कुछ ही देर बाद ही इसकी पुष्टि कर दी. वह मार्च 2023 में इराक में तब लापता हो गई थीं जब एक रिसर्च यात्रा के सिलसिले में वहां गई हुई थीं.

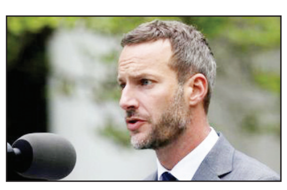

अमेरिका में स्कूल में गोलीबारी, दो जख्मी

लॉस एंजिल्स 11 सितंबर. अमेरिका के कोलोराडो में स्थित एवरग्रीन हाई स्कूल में एक 16 वर्षीय छात्र ने अपने दो सहपाठियों को गोली मारकर जख्मी कर दिया और खुद को भी गोली मार ली. जेफरसन काउंटी शेरिफ कार्यालय की प्रवक्ता जैकी केली ने बताया कि डेनेवर के पश्चिमी रॉकी माउंटेंस में स्थित एवरग्रीन स्कूल में एक छात्र पिस्तौल से अपने दो सहपाठियों पर गोली चला दी, फिर उसने उसी पिस्तौल से खुद को भी गोली मार ली. घायल छात्रों में से एक की स्थिति काफी गंभीर है, जबकि दूसरे छात्र की स्थिति सामान्य है. अभी तक इस हमले के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

रूसी सेना में शामिल होने के प्रस्तावों के झांसे में न आएं : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली 11 सितंबर. रूस की सेना में कुछ भारतीय नागरिकों की भर्ती की मीडिया रिपोर्टों के बीच विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को आगाह किया है कि वे रूसी सेना में शामिल होने के किसी भी प्रस्ताव के झांसे में ना आए क्योंकि इसमें कई जोखिम हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती से संबंधित मीडिया के सवालों के जवाब में गुरुवार को कहा कि भारतीय नागरिकों को इस तरह के प्रस्ताव से दूर रहना चाहिए क्योंकि इसमें खतरे हैं. उन्होंने कहा, हमने हाल ही में रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती की खबरें देखी हैं. सरकार ने पिछले एक साल में कई मौकों पर इस तरह की कार्रवाई में निहित जोखिमों और खतरों को रेखांकित किया है और तदनुसार भारतीय नागरिकों को आगाह किया. रूसी अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है और अनुरोध किया है कि इस प्रथा को समाप्त कर हमारे नागरिकों को वापस भेजा जाना चाहिए. प्रवक्ता ने कहा विदेश मंत्रालय प्रभावित भारतीय नागरिकों के परिवारों के संपर्क में भी हैं. जायसवाल ने कहा, हम एक बार फिर सभी भारतीय नागरिकों से रूसी सेना में शामिल होने के किसी भी प्रस्ताव से दूर रहने का आग्रह करते हैं. क्योंकि यह ख़तरों से भरा है. उल्लेखनीय है कि पिछले तीन वर्ष से भी अधिक समय से यूक्रेन के साथ संघर्षरत रूस की सेना में समय -समय पर भारतीय नागरिकों की भर्ती की जाती रही है. रूस की सेना में भर्ती होने वाले भारतीयों के परिवारों का कहना है कि सेना में भर्ती के बाद उन्हें वापस नहीं आने दिया जाता.

आज का इतिहास

1781 जॉर्ज वॉशिंगटन ने कॉर्नवॉलिस से लड़ने के लिए दक्षिणी सैनिकों को स्थानांतरित करना प्रारम्भ किया।

1794 नॉर्थवेस्टर्न ओहियो में फॉलन टिम्बर की लड़ाई लड़ी गई।

1847 अमेरिकी सैनिकों ने चुरुबुस्को की लड़ाई में मैक्सिकन सैनिकों को हराया।

1953 फ्रांसीसी सेनाओं ने मोरक्को के सुल्तान सीदी मो. बिन यूसुफ को गद्दी से हटाया।

1953 फ्रांसीसी सरकार ने मोरक्को के राजा मोहम्मद वी को बाहर कर, उसे कोर्सिका में बंदी बना दिया।

सार्वजनिक सूचना

हम (1) श्री आलोक मिश्रा, उम्र लगभग 61 वर्ष, पैन संख्या AFNPM8806N के धारक तथा (2) श्रीमती वत्सला मिश्रा, उम्र लगभग 59 वर्ष, पैन संख्या AMWPM3924F की धारक, दोनों निवासी – मकान संख्या 2149, पनेहरा पेट्रोल पंप के समीप, पुराना शोभापुर, जबलपुर – 482011, जो नीचे दी गई अनुसूची में विस्तारपूर्वक वर्णित भूमि (**"अनुसूचित संपत्ति"**) के स्वामी हैं, के स्वामित्वाधिकार की जाँच कर रहे हैं।

यदि बैंक या एनबीएफ़सी सहित किसी भी व्यक्ति या विधिक इकाई का बिक्री, हस्तांतरण, विनिमय, स्वत्वार्पण (असाइनमेंट), वसीयत, रिलीज, त्याग, डिक्री या किसी भी अदालती आदेश, ऋणभार (एंकम्ब्रंस), बंधक (मॉर्गेज), पट्टा (लीज़), धारणाधिकार (लियन), चार्ज, लाइसेंस, उपहार, विरासत, अविभाजित हिस्सा, कब्जा, भोगाधिकार, ट्रस्ट, उत्तरदान, किरायेदारी, उप-किरायेदारी, लीव एंड लाइसेंस, विचाराधीन वाद (लिस-पेंडेंस), विकल्प, पहले इनकार का अधिकार या पूर्वक्रय-अधिकार के अंतर्गत या किसी भी प्रकृति या किसी भी तरह का अथवा किसी भी अनुबंध, विलेख, दस्तावेज़ या पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत अनुसूचित संपत्ति या उसके किसी भी भाग में किसी भी तरह का कोई अधिकार, हक, दावा, लाभ, मांग या हित शामिल है अथवा किसी भी तरह की कोई आपत्ति है, तो एतद्द्वारा यह अपेक्षित है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर दस्तावेजी साक्ष्य की नोटरीकृत/प्रमाणित सत्य प्रतियों के साथ लिखित रूप में नीचे दिए गए पते पर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा यह माना जाएगा कि अनुसूचित संपत्ति का स्वामित्व स्पष्ट, वैध और विपणन-योग्य है, और किसी के पास अनुसूचित संपत्ति पर कोई भी अधिकार/ हक/ हित/ दावा/ मांग नहीं है। समर्थक दस्तावेजों के बिना किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
कृपया लिफाफे पर [CN-JBP] अंकित करें।

अनुसूचित संपत्ति

ग्राम खैरी, मौजा खेरी, पटवारी हल्का खैरी, तहसील एवं जिला जबलपुर, राज्य – मध्य प्रदेश, पिन कोड – 482004 में स्थित गैर-कृषि भूमि का वह सम्पूर्ण अंश एवं भाग, जिसका खसरा सं. (i) 200 (s) क्षेत्रफल 0.21 हेक्टेयर, (ii) 199 (s) क्षेत्रफल 0.10 हेक्टेयर तथा (iii) 198 (s) क्षेत्रफल 0.10 हेक्टेयर है, जो सम्मिलित रूप से कुल 0.41 हेक्टेयर अर्थात 4,100 वर्ग मीटर यानी 44,132.4 वर्ग फ़ीट है।

अनुसूचित संपत्ति की चौहद्दी निम्नानुसार है:
पूर्व में: 80 फीट चौड़ी महाराजपुर सार्वजनिक सड़क;
पश्चिम में: ट्रांसपोर्ट नगर – खसरा सं. 214;
उत्तर में: श्री गुप्ता की संपत्ति – खसरा सं. 214 एवं 197 का भाग;
दक्षिण में: बजाज व्हीकल का गोदाम – खसरा सं. 201.

दिनांक: 12 सितम्बर 2025
लेक्सनेगोटियम एडवोकेट्स
ध्यान दें: विकास पंत, प्रिंसिपल पार्टनर
+91 9899115125
vikas.pant@lexnegotium.com
दिल्ली - खसरा सं. 56/6/1, कुकरेजा फार्म के पास, जोनपुर, नई दिल्ली-110047
गुरुग्राम-3डी, रो हाउस सूर्या विहार अपार्टमेंट, कापसहेड़ा बॉर्डर के पास, डूंडाहेड़ा, गुड़गांव -122016

ई-नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट - IV A) (नियम 8(6))

आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) के कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) और शाखा कार्यालयः 225, नेपियर टाउन, द्वितीय तल, चंद्रिका टावर्स के सामने, शास्त्री ब्रिज रोड, जबलपुर-482001 को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम") के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि आईआईएफएल-एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसरण में निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था। आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए इसे "जहां है जैसा है, जो है वैसा है और बिना किसी सहारे के आधार पर" बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट www.iiflonehome.com पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी।

उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/गारंटर	मांग सूचना दिनांक और राशि	अचल संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य
श्री विकास विनोदिया, श्री आकाश विनोदिया, श्री पवन विनोदिया, श्रीमती लीला विनोदिया (प्रॉस्पेक्ट नं. 816655, 891801, 928483)	29/05/2023 और रु.1921087/- (उन्नीस लाख इक्कीस हजार सतासी मात्र) बोली वृद्धि राशि ₹ 25000/- पच्चीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें डुप्लेक्स संख्या -27-ए, खसरा संख्या 40/1 का भाग, 690 वर्ग फुट क्षेत्रफल और 600 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र शामिल है, एनबी 264, पीएचएन 50, स्टार ड्रीम सिटी मौजा - पड़रिया, स्टार ड्रीम सिटी, समाधि रोड, गौर तिराहा, जबलपुर, 482020, मध्य प्रदेश, भारत (क्षेत्रफल 1042 वर्ग फुट)	29/01/2025 कुल बकाया दिनांक 09/09/2025 तक रु. 26,96,473/- (छब्बीस लाख छियानवे हजार चार सौ तिहत्तर मात्र)	रु. 1131000/- (ग्यारह लाख इकतीस हजार मात्र) बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु.113100/- (एक लाख तेरह हजार एक सौ मात्र)
श्री सुरेश झारिया, श्री मुकेश झारिया श्रीमती ममता झारिया, श्रीमती मुन्नी झारिया (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10151407)	06/09/2022 ₹1097019/- (दस लाख सत्तानवे हजार उन्नीस मात्र) बोली वृद्धि राशि ₹ 25000/- पच्चीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें प्लॉट संख्या 11, 1140 वर्ग फुट क्षेत्रफल, के.नं. 74/1, नया 74/4, एन.बी.162, गोरखपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत, 482001 शामिल है।	प्रतीकात्मक कब्जा 18/04/2023 कुल बकाया दिनांक 06/08/2025 रु. 1546152/- (पंद्रह लाख छियालीस हजार एक सौ बावन मात्र)	रु.1560000/- (पंद्रह लाख साठ हजार मात्र) बयाना राशि जमा (ईएमडी) ₹156000/- (एक लाख छप्पन हजार मात्र)

महत्वपूर्ण सूचनाः यह नीलामी SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कब्जे के आधार पर प्रकाशित की गई है। भौतिक कब्जा SARFAESI अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा 14 के आदेश प्राप्त होने के बाद और भौतिक कब्जा प्राप्त होने पर ही दिया जाएगा। बोलीदाता नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने से पहले दस्तावेजों और वैधता के संबंध में आवश्यक जांच-पड़ताल करेगा।

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	ईएमडी की अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि/समय
24-सितंबर-2025 1100 बजे - 1400 बजे	26-सितंबर-2025 शाम 5 बजे तक।	29-सितंबर-2025 1100 बजे-1300 बजे

भुगतान विधिः- EMD भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाना है। भुगतान करने के लिए आपको https://www.iiflonehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा। नोटः प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है। सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। शेष भुगतान के लिए - https://www.iiflonehome.com पर लॉग इन करें > मेरी बोली > शेष राशि का भुगतान करें।

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com पर अपना विवरण पहले से पंजीकृत कराना होगा और लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपना "निविदा प्रपत्र" अग्रिम जमा राशि के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति और पैन कार्ड के साथ उपरोक्त शाखा कार्यालय में जमा/भेजना होगा।
2. बोलीदाताओं को "बोली वृद्धि राशि" कॉलम में उल्लिखित राशि के गुणज में अपनी बोली में सुधार करना होगा। यदि बोली नीलामी समाप्ति समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समाप्ति समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को एओ द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के 24 घंटे के भीतर बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) और सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर बोली राशि का शेष 75% जमा करना होगा। सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से होंगे।
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित अन्य सभी आकस्मिक लागतें, शुल्क वहन करने होंगे।
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन देना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों और नीलामी आवेदन पत्र के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com और https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें।
7. ई-नीलामी संबंधी विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर 1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं।
8. संपत्ति विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक IIFL HFL के टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल care@iiflonehome.com पर लिखें।
9. उपरोक्त उधारकताओं को सूचित किया जाता है कि वे भौतिक कब्जा लेते समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को 7 दिनों के भीतर एकत्र कर लें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।
10. इसके अतिरिक्त, ऋणी/ऋणियों को सूचित किया जाता है कि यदि वे उपरोक्त वस्तुएँ प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार बेच दिया जाएगा।
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर किसी भी स्तर पर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा।
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित/रद्द या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 उपनियम (1) के तहत 15 दिन की बिक्री सूचना

ऋणी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त राशि, अद्यतन ब्याज और सहायक व्ययों सहित, निविदा/नीलामी की तिथि से पूर्व भुगतान करें। ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि होगी, तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

स्थानः- जबलपुर, दिनांकः 12-सितंबर-2025 **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड।**

छत्तीसगढ़ शासन वनविभाग कवर्धा वनमंडल, कवर्धा (छत्तीसगढ़)

नीलाम की संक्षिप्त सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कवर्धा वनमंडल कवर्धा के अंतर्गत अ.डिपो लालपुर खैरबना (कवर्धा) में एकत्रित ईमारती काष्ठ एवं विभिन्न अस्थाई जलाऊ डिपो में एकत्रित जलाऊ चट्टों का ई-ऑक्शन द्वारा निर्वर्तन निम्नानुसार किया जायेगा। इच्छुक बोलीदारों से अनुरोध है कि वे ई-आक्शन में भाग लेवें। ई आवशन की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमंडल कार्यालय / काष्ठागार कवर्धा से प्राप्त की जा सकती है।

नीलाम दिनांक - 18.09.2025
समय - 9:00 बजे प्रातः से

वनोपज की अनुमानित मात्रा निम्नानुसार है

प्रजाति	नया काष्ठ			अनबिके काष्ठ			योग		
	घ.मी.	बल्ली	डोंगरी	घ.मी.	बल्ली	डोंगरी	घ.मी.	बल्ली	डोंगरी
सागौन	33.336	34	96	417.625	861	324	450.961	895	420
साल	-	-	-	100.757	180	-	100.757	180	-
बीजा	-	-	-	17.659	-	-	17.659	-	-
साजा	-	-	-	19.004	-	-	19.004	-	-
धावड़ा	-	-	-	9.972	-	-	9.972	-	-
कसही	-	-	-	1.855	-	-	1.855	-	-
हल्दू	-	-	-	5.808	-	-	5.808	-	-
अन्य	-	-	-	84.372	470	-	84.372	470	-
योग :-	33.336	34	96	657.052	1511	324	690.388	1545	420

टीप :- (1) क्रेताओ को ई-आक्शन के पूर्व MSTC E-Auction portal में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
(अ) अ. जलाऊ डिपो रामपुर में साल प्रजाति के 396 चट्टा, मिश्रित प्रजाति के 400 1. डिपो लालपुर खैरबना में मिश्रित प्रजाति के 198 चट्टा, अ.ज. डिपो बोड़ला में साल प्रजाति के 43 चट्टा, मिश्रित प्रजाति के 15 चट्टा, अ.ज. डिपो बानो में मिश्रित प्रजाति के 63 चट्टा, सलिहा प्रजाति के 127 चट्टा, कुल 1242 जलाऊ चट्टा
(2) केताओ को ई-आक्शन के पूर्व कय लाटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है। सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर शेष 15 प्रतिशत ई.एम.डी. की राशि जमा करना अनिवार्य है।
(3) लाट की थप्पीसूची एवं फोटो MSTC E-Auction portal में अपने आई.डी. से लॉगइन करके देख सकते है।
(4) ई-आक्शन में लॉट कय करने हेतु प्रथम केता को 40 सेकंड का समय प्राप्त होगा, उसी लॉट में अन्य क्रेताओं को कय करने पर 30 सेकंड का समय प्राप्त होगा।
(5) प्रत्येक लॉट 30 सेकंड की अवधि के लिए बोली लगाने के लिए लाइव रहेगा। यदि अंतिम 20 सेकंड में कोई बोली प्राप्त नही होती है तो लॉट बंद कर दिया जायेगा।

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा, वनमण्डल, कवर्धा

G-252603398/7